04
04 2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि ग्राम राजपुरा पटवार राजपुरा स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 113 रकबा 0.10 हैक्टे0 (गत खसरा नं0 90/992) वर्तमान राजस्व नक्शे में पुराने नक्शे अनुसार अंकित नही कर गलत अंकित कर ही गयी है एवं रकबे से अधिक बडा नक्शा बना दिया जो गलत है। प्रार्थी की ओर से पैरवी करते हुये वकील प्रार्थी का कथन रहा कि सैटिलमैन्ट से पूर्व का नक्शा सही है गत नक्शे अनुसार वादग्रस्त आराजी का वर्तमान नक्शा दुरुस्त किया जावें। प्रकरण में तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट कमांक भू.अ./18/1554 दिनांक 19.07.2018 के अनुसार भी राजस्व ग्राम राजपुरा के ख0नं0 113 का रकबा 0.10 हैक्टे जो नक्शें में नापने पर ज्यादा है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुराने नक्शे में उक्त ख0नं0 113 का पुराना नम्बर 90/992 है जिसे स्केल से मापने पर रकबा 0.10 हैक्टे0 है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरुस्ती हेतु तहसीलदार को आदेश प्रदान करने का अनुतोष चाहा।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वर्तमान खसरा नं 113 का राजस्व नक्शा, गत नक्शा में गत ख0 नं0 90/992 के नक्शे अनुसार नही है, हाल खसरा नं0 113 का नक्शा रकबे अनुसार अधिक दर्शाया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात व रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 19.07.2018 के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

04/04/22
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल राजपुरा स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 113 रकबा 0.10 हैक्टे0 (गत खसरा नं0 90/992) की तरमीम गत नक्शा मौजा राजपुरा एवं रिपोर्ट तहसीलदार 19.07.2018 के अनुसार दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ़्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

04/04/22
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)